संख्या-77/2020/2271/सैंतीस-2-2020-1(35)/2014टीसी

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-30 सितम्बर, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना-आर.आई.डी.एफ. (रा.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-212/सा.-1/एक्स-120(189)/आरआईडीएफ-21/पा.क्ली./2015-16, दिनांक-25.09.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना-आर.आई.डी.एफ. (रा.यो.) के अन्तर्गत पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक-सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर एवं गोण्डा के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-65/2020/1826/सैंतीस-2-2020-1(35)/2014टीसी, दिनांक-25.09.2020 द्वारा कुल रू0-775.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन में क्रमांक-5 पर त्रुटिवश कार्यदायी संस्था का नाम "यू.पी. प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0" अंकित हो गया है। अतएव शासनादेश दिनांक-25.09.2020 के पृष्ठांकन में क्रमांक-5 पर अंकित कार्यदायी संस्था का नाम "यू.पी. प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0" के स्थान पर "उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)" पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-25.09.2020 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

पृ0सं0-77/2020/2271(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), गोमती नगर, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in